कार्यालय : प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

//संशोधन विज्ञापन//

क्रमांक   /दो–11–01/2007   रायपुर, दिनांक 26.04.2017

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :	19 मई–2017, संध्या 5.00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर स्थापना के अंतर्गत स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–3(साक्ष्य लेखक) एवं भृत्य के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित								आरक्षित				अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग
1	स्टेनोग्राफर	01	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक)	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
3	भृत्य	03	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	05	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :–

1. स्टेनोग्राफर(हिन्दी) पद के लिए –

अ   वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/–, ग्रेड वेतन रूपये 2800/–

ब – शैक्षणिक योग्यताएं –

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण– पत्र ।

(2) छ.ग. या म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष परीक्षा बोर्ड द्वारा शीघ्रलेखन एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीण करने का प्रमाण–पत्र ।

(3) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

2. सहायक ग्रेड–3 –(साक्ष्य लेखक) पदके लिये

अ – वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/–, ग्रेड वेतन रूपये 1900/–

ब – शैक्षणिक योग्यताएं –

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण– पत्र ।
2. छ.ग. या म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष परीक्षा बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र ।
3. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए) प्रमाण पत्र के साथ एम. एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

3. भृत्य पद के लिए –

अ – वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 4750–7440/–, ग्रेड वेतन रूपये 1300/–

ब – शैक्षणिक योग्यताएं –

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन–पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी ।

अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ मूल निवासी अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है । छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे आवेदक जो आरक्षित वर्ग के हैं, किन्तु उनके द्वारा अपने आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किया जावेगा, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

किसी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

4–(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(स) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नि जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति स विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें ।

4–(2) आवेदक दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तथा अधिकतम 30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं हो । (केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी

4–(3) विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

4–(4) निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयुसीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(2)–यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ–7–25–93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(3)–छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिंजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व से की गई संपर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो,कम करने की अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :–छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो शासन तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है ।

(5)–1 ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा किन्तु उसके परिणामस्वरूप जा आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(5)–2 महिलाओं के लिए आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी । इस अधिकतम आयु सीमा तथा छूट की सीमा को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(5)–3 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–1–2/2002/1/3, दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की ह इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभवित नहीं होंगे ।

(5)–4 स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(5)–5 विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

(6)–1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

(6)–2 आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी.3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(6)–3 राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–19–2/2005/1–3, दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(6)–4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–06–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप : (1) बिंदु कमांक 05 में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिंदु कमांक 6 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक

एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी । यह छूट बिंदु कमांक 01 में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण : यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीन कार्डधारी तथा राज्य में प्रचलित पुरस्कार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी राज्य में प्रचलित पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी । ग्रीन कार्ड तथा अन्तरजातीय विवाह क निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए दो वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा । अतः राज्य में प्रचलित पुरस्कार अथवा अन्तरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट उन्हें नहीं दी जायेगी ।

(3) उपरोक्त 5 एवं 6 में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

नोट :– इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू रहेगा।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 19 मई–2017 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद "स्टेनोग्राफर/सहायक ग्रेड–3/भृत्य पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, (जिला न्यायालय परिसर) रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक एवं स्पीडपोस्ट द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते है । दिनांक 19–05–2017 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- लिफाफे के ऊपर आवेदक स्पष्ट रूप से (अना0/ अ0जा0/अ0ज0जा /अ0पि0व)आवेदित पद नाम अंकित करें ।
- कोरियर, ई–मेल फैक्स के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा ।
- विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के ऑफिशयल वेबसाईट http://www.districtcourt-raipur.cg.nic.in Or http://ecourts.gov.in/raipur/recruitment में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है ।

- कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहता हो तो प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र पृथक–पृथक लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा ।
- जन्मतिथि की सत्यता हेतु भृत्य पद बाबत् कक्षा पांचवी एवं शेष पदों हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।
- आवेदक आवेदन पत्र पर स्वप्रामाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा ।
- आवेदन पत्र में पुरूष उम्मीदवार द्वारा बायें हाथ का तथा महिला उम्मीदवार द्वारा दाहिने हाथ का अंगूठा निशानी लगाना अनिवार्य है । जिन पुरूष आवेदकों का उल्टे/बायें हाथ का अंगूठा नहीं है वे सीधे/दाये हाथ का अंगूठा निशानी लगा सकते है एवं जिन महिला आवेदकों की सीधे/दाये हाथ का अंगूठा नहीं है वे उल्टे/बाये हाथ का अंगूठा निशानी लगा सकती है ।
- विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते है ।
- बिना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा ।
- प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक तकनीकी एवं यवसायिक योग्यता/अनुभव की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता/अनुभव घोषित नहीं किया जा सकेगा । आवेदक द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रकिया के किसी भी प्रकम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैघानिक कार्यवाही भी की जा सकगी ।

<u>(परीक्षा की विधि व प्रकिया)</u>

प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरान्त पात्र/अपात्र अभ्यार्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की वेबसाईड http://www.districtcourt-raipur.cg.nic.in Or http://ecourts.gov.in/raipur/recruitment पर अपलोड की जावेगी । दावा आपत्ति निर्धारित दिनांक के शाम 5 बजे तक प्राप्त की जावेगी तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । योग्य उम्मीदवार को अंतिम सूची वेबसाईट http://www.districtcourt-raipur.cg.nic.inOr http://ecourts.gov.in/raipur/recruitment में देखा जा सकता है ।

1. चयन प्रकिया (हिन्दी स्टेनोग्राफर/सहायक ग्रेड–3 एवं भृत्य)

स्टेनोग्राफर (हिन्दी)

(अ) प्रथम चरण – लिखित परीक्षा – स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु लिखित परीक्षा का अयोजन किया जावेगा, जिसमें 50 प्रश्न होगें तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा एवं चार विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा ।

(ब) द्वितीय चरण – कौशल परीक्षा – लिखित परीक्षा में मेरिट कमानुसार रिक्त पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जाएगा । उम्मीदवारों के लिये 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी डिक्टेशन दिया जायेगा जिसे समय सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टायपिंग करना होगा ।

(स)मेरिट सूची – कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी । कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40 अंक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 अंक एवं अनुसूचितजाति/जनजाति वर्ग के लिए 33 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा ।

नोट :– परीक्षा (1) व (2) में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी । जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जावेगा ।

2. सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक)

(अ) प्रथम चरण – (लिखित परीक्षा) – स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु लिखित परीक्षा का अयोजन किया जावेगा, जिसमें 50 प्रश्न होगें तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा एवं चार विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा ।

(ब) द्वितीय चरण – कौशल परीक्षा – लिखित परीक्षा में मेरिट कमानुसार रिक्त पदों के 15 गुना उममीदवारों को कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जाएगा । उम्मीदवारों को हिन्दी श्रुतिलेख दिया जाएगा, जिसे निर्धारित समय की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा ।

(स)मेरिट सूची – कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी । कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40 अंक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 अंक एवं अनुसूचितजाति/जनजाति वर्ग के लिए 33 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा ।
नोट परीक्षा (1) व (2) में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी । जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जावेगा ।

टीप :– स्टेनोग्राफर(हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा ।

3. भृत्य

(अ) भृत्य के पद पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों से केवल साक्षात्कार लिया जायेगा, साक्षात्कार हेतु कुल 10 अंक होगा ।

(अ–1) भृत्य हेतु अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता जैसे– इलेक्ट्रीशियन, पलम्बर, कारपेन्टर, कुक, वाहन चालन इत्यादि के ज्ञान तथा पूर्व कार्य अनुभव को साक्षात्कार के दौरान वरीयता दिये जाने बाबत् चयन समिति विचार कर सकता है ।

नोट :– साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी । जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जावेगा ।

<u>स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु –</u>

1.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ)	–	50 अंक
2.	कौशल परीक्षा	–	50 अंक

<u>सहायक ग्रेड–3(साक्ष्य लेखक) के पद हेतु –</u>

1.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ)	–	50 अंक
2.	कौशल परीक्षा	–	50 अंक

<u>भृत्य के पद हेतु –</u>

1.	साक्षात्कार	–	10 अंक

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. परीक्षा स्थान की सूचना वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी ।
2. उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी । नियुक्ति दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि पर होगी । परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
3. स्टेनोग्राफर/सहायक ग्रेड–तीन के रिक्त पद के 15 गुना के आधार पर लिखित परीक्षा में अंतिम न्यूनतम सभी समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए पात्र होगे । वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय को जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी । समान अंक, समान जन्मतिथि एवं समान शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अंको के आधार पर वरीयता तय की जावेगी जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होगे, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।
4. कुटुम्ब न्यायालय , रायपुर के रिक्त पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को होगा ।
5. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।

7. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण छ0ग0 रायपुर से सत्यापित कराया जावेगा । फर्जी पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

8. चयनित उम्मीदवार जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

9. चयन प्रकिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

10. आवेदक आवेदन पत्र का संपूर्ण इंद्राज नीले रंगी की पेन/डॉट पेन से ही करें । अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा ।

11. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निरस्त की जा सकेगी ।

12. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स प्रभावित करने का प्रयास करेंगें, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी ।

13. आवेदक जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट http://www.districtcourt-raipur.cg.nic.in or http://ecourts.gov.in/raipur/recruitment से प्रवेश पत्र डाऊनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा । कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा । अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा की प्रकिया में परिवर्तन किया जा सकेगा या परीक्षा एक से अधिक पाली/दिवस में ली जा सकती है ।

14. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को यदिकिसी कारण अवकाश दिवस घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस अंतिम तिथि मानी जावेगी ।

15. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना अनिवार्य तथा किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी ।

16. अभ्यथी को किसी नैतिक घृष्टता हेतु अपराधी न ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय, संघ, राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो ।

17. अभ्यर्थी आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई याग्यता धारित करता हो ।

18. उपयुक्त आवेदकों की छटाई के उद्देश्य से चयन प्रकिया के अंतर्गत विज्ञाप्ति पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छंटाई की जा सकेगी ।

19. कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उपयुक्त पाये गये आवेदकों का कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र जिला न्यायालय, रायपुर के वेबसाईड http://www.districtcourt-raipur.cg.nic.in Or http://ecourts.gov.in/raipur/recruitment पर अपलोड किया जावेगा आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रुफ (पहचान पत्र) यथा ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक,

पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड सहित कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगें । किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप में कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा ।

सही/–
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर(छ.ग.)

Lo;a }kjk
vfHkizekf.kr
ikliksVZ
QksVks

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

स्टेनोग्राफर/सहायक ग्रेड–3/भृत्य के पदो पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में): ....
   (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में): ....
3. लिंग– पुरूष, संकेतांक–1. महिला संकेतांक–2 [ ]
4. पिता/पति का नाम : ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता(हिन्दी में):..
   ....
   ....
   ....
   (ब) स्थायी पता : ....
   ....
   ....
6. (अ) जन्म तिथि अंको में [ ]
   शब्दों में ....
   (ब) दिनांक 01.01.2017 को आयु वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं [ ]
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हैं? हां/नहीं
   (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें । [ ]
10. क्या आवेदक विकलांग है ? हां/नही [ ]
    (यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) [ ]

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13. रोजगार कार्यालय का पंजीयन कमांक

14. रोजगार कार्यालय का नाम

15. क्या आप विवाहित है ? (हां/नहीं)

16. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

17. जीवित बच्चों की संख्या

कमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

कमांक	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है?
हां/नहीं ? (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

20. क्या आवेदक को किसी दाण्डिक प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया गया है अथवा दाण्डिक प्रकरण दर्ज हुआ हो तो प्रकरण की स्थिति के संबंध में दस्तावेज संलग्न करें ।...............................

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न सभी दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी असत्य पायी जाती है या पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक .... आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान.................. नाम एवं पूरा पता